रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 1972/पौष 15, 1893

No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 1972/PAUSA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December 1971

S.O. 14(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the exhibition of the film entitled "JOI BANGLA DESH" (Hindi) which has been granted a 'U' Certificate No. 64346, dated 26th October, 1971 by the Central Board of Film Censors, be suspended for a period of two months with effect from the date of this Notification.

[No. F. 9/18/71-FC.]

C. B. GIRIDHAR, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1971

एस० ओ० 14(इ).—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 6 की उपधारा (2) की क्लाज (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि "जय बंगला देश" हिन्दी फिल्म, जिसको केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा "यू" प्रमाण-पत्र संख्या 64346 तारीख 26-10-1971 प्रदान किया गया है, का प्रदर्शन इस अधिसूचना की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए रोक दिया जाये।

[संख्या एफ० 9/18/71-एफ० (सी०)]

ओ० बी० गिरिधर,
उप-सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971